न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2003/00101

मिसल नम्बर– 321/2006

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

–प्रार्थी

बनाम

धन्ना, कजोड पिसरान नन्दा जाति बलाई मेघवंशी साकिन नान्दना उर्फ बड़गांव

–अप्रार्थीगण

–:निर्णय:–

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

दिनांक 29/8/25

उपस्थिति–

1.सरकार पैरोकार

प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 इस बाबत् प्रस्तुत किया गया कि सिवायचक खाते मे जमाबंदी संवत् 2034 से 2037 के अनुसार ग्राम नान्दाना उर्फ बड़गांव में खसरा नम्बर 266 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा किस्म बंजड आराजी स्थित थी। दौराने सेटलमेंट उक्त खसरा नम्बर मे से नए खसरा नम्बर 537 रकबा 0.02 है0, किस्म नहरी द्वितीय बनाये गये। भू प्रबंध विभाग द्वारा उक्त खसरा नम्बर को अप्रार्थीगण के खाते 0.02 है0 रकबा दर्ज किया गया है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा निवेदन किया गया है कि मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नम्बर 537 रकबा 0.02 है0 भूमि वाके ग्राम नान्दाना उर्फ बड़गांव को राजकीय सिवायचक दर्ज किया जावें। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नकल मिलान क्षेत्रफल 2038 से 2057 जमाबंदी संवत् 2034 से 2037 जमाबंदी संवत् 2038 से 2057 संलग्न किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। वर्तमान में तहसीलदार लाडपुरा से मौका रिपोर्ट पुनः प्राप्त की गई।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में खसरा नम्बर 537 रकबा 0.02 है0 विभिन्न खातेदारान के नाम दर्ज रिकोर्ड है।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का गहनापूर्वक अध्ययन किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

वर्तमान मे भूमि 32 विभिन्न खातेदारान के नाम दर्ज रिकोर्ड है। तथा तहसीलदार लाडपुरा द्वारा ना तों प्रतिवादी के सेटलमेंट पूर्व के खाते की नकल प्रस्तुत की गई है। और ना ही यह उल्लेखित किया गया है कि प्रतिवादी के खाते मे भू प्रबंध विभाग द्वारा क्या परिवर्तन किया गया है। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा मात्र एक खसरे को आधार बनाकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो न्यायोचित नही है।

धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा का यह कृर्तव्य है कि वह सम्पूर्ण खाते का विवेचन करता तथा यह स्पष्ट करता कि दौराने भू प्रबंध अप्रार्थीगण का रकबा परिवर्तित किया गया हो।

उक्त तथ्य को प्रमाणित करने मे तहसीलदार लाडपुरा असफल रहा है। अतः हमारे विनम्र मत मे पूर्ण तथ्यों, दस्तावेजों, तथा खाते के पूर्ण विवचेन के अभाव मे यह प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावी फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा